मोहनराम बनाम खेराजराम
2022 / 390(143 / 22)
संशोधित निर्णय दिनांकः—24.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022 / 390(143 / 22) दर्ज तिथिः—06.12.2022

1. मोहनराम पुत्र गोरखाराम
2. किसनाराम पुत्र गोरखाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. खेराजराम पुत्र गोरखाराम
2. चम्पालाल पुत्र गोमदाराम
3. ताजाराम पुत्र गोमदाराम
4. बबरी पत्नी गोमदाराम
5. रामाराम पुत्र मोटाराम
6. हुकमाराम पुत्र दमाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
7. गणपतराम पुत्र छोगाराम
   जाति सुथार निवासी डबोई तहसील धोरीमना
8. दमी देवी पत्नी अर्जुनराम
9. अशोक पुत्र पेमाराम नाबालिक जरिये वलि माता प्रतिवादी संख्या 10
10. फुली देवी पत्नी पेमाराम
    जाति सुथार निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुडामालानी
11. धनाराम पुत्र गुमनाराम
12. पीराराम पुत्र गुमनाराम
13. जोराराम पुत्र गुमनाराम
    जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
14. दरिया पुत्री पेमाराम
15. मंजू कुमारी पुत्री पेमाराम
16. तुलसी पुत्री पेमाराम नाबालिक जरिये वलि माता प्रतिवादी संख्या 10
    जाति जाट निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.................असल प्रतिवादीगण

17. एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

मोहनराम बनाम खेराजराम
2022/390(143/22)
संशोधित निर्णय दिनांकः–24.03.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः– श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

संशोधित निर्णय तिथिः–24.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 50/3.6260 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल तहसील गुडामालानी तथा 129/80/9.3644 है0, वाके ग्राम तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 06, 08–10 व 14–16 के अतिरिक्त सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 06, 08–10 व 14–16 द्वारा बाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 06 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 06 के हिस्से की आराजी कब्जा अनुसार सडक से लगता कीमती हिस्सा अनुसार खाता भी पृथक किया जावे। इसी प्रकार शेष प्रतिवादीगण संख्या 08–10 व 14–16 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। इसी प्रकार शेष प्रतिवादीगण संख्या 01 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से अंकित कब्जे के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

3. प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम किए गये—

   1. आया वादीगण वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी पर मुताबिक जमाबंदी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी है।

      ....वादी
   2. आया वादीगण वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

      ....वादी
   3. आया प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं सडक से लगती हुई कीमती भूमि का तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी है।

      ....प्रतिवादी
   4. आया प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

      ....प्रतिवादी
   5. अन्य दादरसी

      ....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 37 आधार संवत् 2073—76 जमाबंदी—2078	प्रदर्श—01
नक्शा	खसरा संख्या 129/80 वाके ग्राम तेजियावास	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 18 आधार संवत् 2075—78 जमाबंदी—2078	प्रदर्श—03

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
मोहनलाल पुत्र गोरखाराम	सुथार	तेजियावास गुडामालानी

6. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2024 को जारी की जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2257 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 06 हुकमाराम की ढाणी अवस्थित है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित विभाजन में उक्त ढाणी सभी सहखातेदारों को प्रस्तावित कर दी गई है। अतः उक्त ढाणी केवल प्रतिवादी संख्या 06 हुकमाराम के नाम रखी जावे। साथ ही खसरा संख्या 50 में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित विभाजन में पक्षकारान सहमति अनुसार सहमति विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी जोराराम वगैरह को एवं बिन्दु संख्या बी, ई, एफ, डी के मध्य हुकमाराम को प्रस्तावित करने पर सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति विभाजन स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 80 में रामाराम प्रतिवादी संख्या 05 हेतु प्रस्तावित आराजी यथावत रखी जाकर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 05 रामाराम के सेढा सेढ वादी मोहनलाल की आराजी तथा वादी मोहनलाल के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 08 दमीदेवी की आराजी प्रस्तावित की जावे। सबलसिंह के हिस्से की तरमीम भी मोहनलाल वगैरह के हिस्से व हुकमाराम के हिस्से के सेढे मोहनलाल वगैरह के हिस्से में रखी जावे। शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति अनुसार एवं उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2257 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 28.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 914—929 दिनांक 16.10.2024 द्वारा मौका

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 914—929 दिनांक 16.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

7. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—2078 एवं 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 50/3.6260 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल तहसील गुडामालानी तथा 129/80/9.3644 है0, वाके ग्राम तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में अधिवक्तागण उभपक्षकारान द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन प्रस्तुत कर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 06 हुकमाराम की ढाणी अवस्थित होने के कारण उक्त ढाणी को केवल प्रतिवादी संख्या 06 के हिस्से में दर्ज करने तथा सहमति विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी के मध्य जोराराम वगैरह को एवं बिन्दु संख्या बी, ई, एफ, डी के मध्य हुकमाराम की आराजी दर्ज करने पर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही अधिवक्ता वादी द्वारा खसरा संख्या 80 में रामाराम प्रतिवादी संख्या 05 हेतु प्रस्तावित आराजी यथावत रखी जाकर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 05 रामाराम के सेढा सेढ वादी मोहनलाल की आराजी तथा वादी मोहनलाल के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 08 दमीदेवी की आराजी दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। सबलसिंह के हिस्से की तरमीम भी मोहनलाल वगैरह के हिस्से व हुकमाराम के हिस्से के सेढे मोहनलाल वगैरह के हिस्से में रखी जावे। साथ ही शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं उक्त मौका रिपोर्ट में सहमति से संशोधन कर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन के अवलोकन से उक्तानुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. प्रकरण में उक्तानुसार दावा स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय दिनांक 10.03.2025 को किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 वा 10 के साथ संयुक्त रख दिया गया है। इस संबंध में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 129/80 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा संयुक्त रखते हुए शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक किया जावे। साथ ही नजरी नक्शा में मोहनलाल व हुकमाराम के बीच में दमी देवी वगैरह का खेत है। इस कारण सबलसिंह के हिस्से की तरमीम हुकमाराम व दमीदेवी वगैरह के बीच में रखी जावे। अंत में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.03.2025 में उक्तानुसार संशोधन करने का निवेदन किया गया।

9. हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी एवं प्रार्थना—पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन के अनुसार उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 50/3.6260 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल तहसील गुडामालानी तथा 129/80/9.3644 है0, वाके ग्राम तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र मोटाराम हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 देह खातेदार	तेजियावास रामजी का गोल	129 / 80 50 / 2	1.6284 0.6043	बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2327 है0				
हुकमाराम पुत्र दमाराम हि0 31759 / 32569 जाति सुथार सा0 देह खातेदार गणपतराम पुत्र छोगाराम हि0 810 / 32569 जाति सुथार सा0 डबोई खातेदार	तेजियावास	129 / 80	3.2569	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.2569 है0				
हुकमाराम पुत्र दमाराम हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल	50	1.2086	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2086 है0				
ताजाराम पुत्र गोमदराम हि0 1 / 3 चम्पालाल पुत्र गोमदराम हि0 1 / 3 बबरीदेवी पत्नी गोमदराम हि0 1 / 3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार	तेजियावास रामजी का गोल	129 / 80 50 / 2	1.6284 0.6043	बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2327 है0				
मोहनलाल पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 खेराजराम पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 किशनाराम पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार रहन–मोहन, खेराज, किशना हिस्सा पूर्ण शाखा एसबीआई गुड़ामालानी	तेजियावास	129 / 80	1.6303	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.8507 है0				
अशोक कड़वासरा पुत्र पेमाराम हि0 41 / 602 तुलसी पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 दरिया पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 मंजू कुमारी पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 फूलीदेवी पत्नी पेमाराम हि0 4885 / 12204 दमीदेवी पत्नी अर्जुनराम हि0 4069 / 12204 जाति जाट सा0 गुन्देलपुरा खातेदार	तेजियावास	129 / 80	1.2204	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

मोहनलाल पुत्र गोरखा हि0 1/3 खेराजराम पुत्र गोरखा हि0 1/3 किशनाराम पुत्र गोरखा हि0 1/3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार रहन–मोहन, खेराज, किशना पिता गोरखा हि0 पूर्ण शाखा एसबीआई गुड़ामालानी	रामजी का गोल	50	0.6043	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6043 है0				
जेरा पुत्र गुमना हि0 1/3 धना पुत्र गुमना हि0 1/3 पीरा पुत्र गुमना हि0 1/3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल	50	0.6043	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6043 है0				
नोटः–तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन प्रस्तुत कर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 06 हुकमाराम की ढाणी अवस्थित होने के कारण उक्त ढाणी को केवल प्रतिवादी संख्या 06 के हिस्से में दर्ज करने तथा सहमति विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी के मध्य जोराराम वगैरह को एवं बिन्दु संख्या बी, ई, एफ, डी के मध्य हुकमाराम की आराजी दर्ज किया जावे। साथ ही खसरा संख्या 80 में रामाराम प्रतिवादी संख्या 05 हेतु प्रस्तावित आराजी यथावत रखी जाकर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 05 रामाराम के सेढा सेढ वादी मोहनलाल की आराजी तथा वादी मोहनलाल के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 08 दमीदेवी की आराजी दर्ज किया जावे। सबलसिंह के हिस्से की वर्तमान तरमीम खसरा संख्या 80/1 को दुरूस्त करते हुए हुकमाराम व दमीदेवी वगैरह के बीच में रखी जावे। शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022 / 390(143 / 22) दर्ज तिथिः–06.12.2022

1. मोहनराम पुत्र गोरखाराम
2. किसनाराम पुत्र गोरखाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. खेराजराम पुत्र गोरखाराम
2. चम्पालाल पुत्र गोमदाराम
3. ताजाराम पुत्र गोमदाराम
4. बबरी पत्नी गोमदाराम
5. रामाराम पुत्र मोटाराम
6. हुकमाराम पुत्र दमाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
7. गणपतराम पुत्र छोगाराम
   जाति सुथार निवासी डबोई तहसील धोरीमना
8. दमी देवी पत्नी अर्जुनराम
9. अशोक पुत्र पेमाराम नाबालिक जरिये वलि माता प्रतिवादी संख्या 10
10. फुली देवी पत्नी पेमाराम
    जाति सुथार निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुडामालानी
11. धनाराम पुत्र गुमनाराम
12. पीराराम पुत्र गुमनाराम
13. जोराराम पुत्र गुमनाराम
    जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
14. दरिया पुत्री पेमाराम
15. मंजू कुमारी पुत्री पेमाराम
16. तुलसी पुत्री पेमाराम नाबालिक जरिये वलि माता प्रतिवादी संख्या 10
    जाति जाट निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

..................असल प्रतिवादीगण

17. एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

मोहनराम बनाम खेराजराम
2022/390(143/22)
संशोधित निर्णय दिनांकः–24.03.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः– श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:संशोधित पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 50/3.6260 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल तहसील गुडामालानी तथा 129/80/9.3644 है0, वाके ग्राम तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र मोटाराम हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 देह खातेदार	तेजियावास रामजी का गोल	129/80 50/2	1.6284 0.6043	बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2327 है0				
हुकमाराम पुत्र दमाराम हि0 31759/32569 जाति सुथार सा0 देह खातेदार गणपतराम पुत्र छोगाराम हि0 810/32569 जाति सुथार सा0 डबोई खातेदार	तेजियावास	129/80	3.2569	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.2569 है0				
हुकमाराम पुत्र दमाराम हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल	50	1.2086	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2086 है0				
ताजाराम पुत्र गोमदराम हि0 1/3 चम्पालाल पुत्र गोमदराम हि0 1/3 बबरीदेवी पत्नी गोमदराम हि0 1/3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार	तेजियावास रामजी का गोल	129/80 50/2	1.6284 0.6043	बा0दो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2327 है0				
मोहनलाल पुत्र गोरखा हि0 1/3 खेराजराम पुत्र गोरखा हि0 1/3 किशनाराम पुत्र गोरखा हि0 1/3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार	तेजियावास	129/80	1.6303	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

रहन—मोहन, खेराज, किशना हिस्सा पूर्ण शाखा एसबीआई गुड़ामालानी				
कुल किता 01 रकबा 2.8507 है0				
अशोक कड़वासरा पुत्र पेमाराम हि0 41 / 602 तुलसी पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 दरिया पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 मंजू कुमारी पुत्री पेमाराम हि0 3 / 452 फूलीदेवी पत्नी पेमाराम हि0 4885 / 12204 दमीदेवी पत्नी अर्जुनराम हि0 4069 / 12204 जाति जाट सा0 गुन्देलपुरा खातेदार	तेजियावास	129 / 80	1.2204	बा0दो0
मोहनलाल पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 खेराजराम पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 किशनाराम पुत्र गोरखा हि0 1 / 3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार रहन—मोहन, खेराज, किशना पिता गोरखा हि0 पूर्ण शाखा एसबीआई गुड़ामालानी	रामजी का गोल	50	0.6043	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6043 है0				
जेरा पुत्र गुमना हि0 1 / 3 धना पुत्र गुमना हि0 1 / 3 पीरा पुत्र गुमना हि0 1 / 3 जाति सुथार सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल	50	0.6043	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6043 है0				
नोटः—तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन प्रस्तुत कर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 06 हुकमाराम की ढाणी अवस्थित होने के कारण उक्त ढाणी को केवल प्रतिवादी संख्या 06 के हिस्से में दर्ज करने तथा सहमति विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी के मध्य जोराराम वगैरह को एवं बिन्दु संख्या बी, ई, एफ, डी के मध्य हुकमाराम की आराजी दर्ज किया जावे। साथ ही खसरा संख्या 80 में रामाराम प्रतिवादी संख्या 05 हेतु प्रस्तावित आराजी यथावत रखी जाकर खसरा संख्या 80 में प्रतिवादी संख्या 05 रामाराम के सेढा सेढ वादी मोहनलाल की आराजी तथा वादी मोहनलाल के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 08 दमीदेवी की आराजी दर्ज किया जावे। सबलसिंह के हिस्से की वर्तमान तरमीम खसरा संख्या 80 / 1 को दुरूस्त करते हुए हुकमाराम व दमीदेवी वगैरह के बीच में रखी जावे। शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी न्यायालय
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:34 IST
Reason: SelfAttested